रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 18 अक्तूबर 2018/आश्विन 26, 1940 (शक)
No. 390] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2018/ASVINA 26, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 8 अक्तूबर, 2018

सं. टीएएमपी/30/2014-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, पाराद्वीप पत्तन न्यास पर निजी प्रचालकों द्वारा स्थापित 100 टन क्षमता की हार्बर चल क्रेनों (एचएमसी) के प्रशुल्क की वैधता का विस्तार, संलग्न आदेश के अनुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या. टीएएमपी/30/2014-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास **- - -** **आवेदक**

गणपूर्ति

(i). श्री टीएस. बालसुब्रमनियन (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्तूबर 2018 के 3 रे दिन पारित)

मामला निजी प्रचालकों द्वारा पराद्वीप पत्तन न्यास (पीपीटी) पर 100 टन क्षमता की हार्बर चल क्रेन (एचएमसी) के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. पीपीपी द्वारा दायर एक प्रस्ताव के आधार पर, इस प्राधिकरण ने अपने 28 नवंबर, 2014 के आदेश संख्या टीएएमपी/30/2014-पीपीटी के द्वारा बिना किसी विशिष्ट सेवा प्रदाता के हवाले से, कॉमन प्रयोजन के लिए, पीपीटी पर एचएमसी के उपयोग का अधिकतम प्रशुल्क निर्धारित किया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और यह आदेश की

अधिसूचित की तारीख से 30 दिन पश्चात् प्रभावी होना था यानी 4 फरवरी, 2015 से और तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध है यानी 3 फरवरी, 2018 तक।

3. जब, पीपीटी ने अपने 13/15 फरवरी, 2018 के पत्र [संख्या ईएम/डब्ल्यूएस/टेक/04/(पीटी-I)/365] के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया तब अन्य बातों के साथ-साथ, 100 टन क्षमता की एचएमसी के वर्तमान प्रशुल्क का वैधता का विस्तार 03 अगस्त, 2018 तक करने का प्रस्ताव इस आधार पर किया था कि 100 टन क्षमता की एचएमसी के प्रशुल्क के संशोधन का नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही उसे अंतिम रूप दे दिया जायेगा। इस प्राधिकरण ने अपने 19 मार्च, 2018 के आदेश द्वारा 100 टन क्षमता की एचएमसी के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता का 3 अगस्त, 2018 तक या 100 टन क्षमता की एचएमसी के लिए नियत नए प्रशुल्क के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, तक कर दिया। उक्त आदेश के अनुसार, पीपीटी को अपना प्रस्ताव 30 अप्रैल, 2018 तक दायर करने की सलाह दी गई थी।

4. इस पृष्ठभूमि में पीपीटी ने 06 अगस्त, 2018 के अपने पत्र संख्या ईएम/डब्ल्यूएस/टेक/04/1853 के द्वारा 100 टन एचएमसी के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता को 6 महीने की और अवधि के लिए अर्थात् 3 फरवरी, 2019 तक या पीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव, जो अभी प्रक्रियाधीन है, के नए प्रशुल्क को अंतिम रूप दिये जाने तक जो भी पहले हो, करने का अनुरोध किया है।

5.1. चूंकि 100 टन क्षमता के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता पहले ही 3 अगस्त, 2018 को समाप्त हो गई है। पीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव के संसाधन की प्रक्रिया में लगने वाले अपेक्षित समय को देखते हुए, वर्तमान दरमानों की वैधता को 3 अगस्त, 2018 से आगे बढ़ाना उपयुक्त महसूस किया गया है। तथापि, पीपीटी ने उस समय का संकेत नहीं दिया है कि वह कब तक अपना प्रस्ताव दायर करेगा।

5.2. पिछली बार, पीपीटी के 15 फरवरी 2018 के पत्र में किये गए इस निवेदन पर कि प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है और वह प्रस्ताव शीघ्र दायर कर देगा पर भरोसा करते हुए वैधता अवधि 6 महीने के लिये बढ़ा दी गई थी। फिर भी, पीपीटी ने अभी तक प्रस्ताव दायर नहीं किया। साथ ही, यह प्राधिकरण प्रशुल्क में समय के अंतराल से बचने के लिए, 100 एचएमसी के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता का विस्तार 3 अगस्त, 2018 से आगे करने को बाध्य है।

5.3. परिणाम में, और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण निजी प्रचालकों द्वारा स्थापित 100 टन क्षमता की एचएमसी के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता का विस्तार 3 फरवरी, 2019 तक या 100 टन क्षमता की एचएमसी के लिए पीपीटी द्वारा दायर किये जाने प्रस्ताव के आधार पर नियत नए प्रशुल्क के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, करता है। पीपीटी को सलाह दी जाती है कि वह अपना प्रस्ताव 30 नवम्बर, 2018 तक प्रस्तुत करे दे। पीपीटी यह भी नोट करे कि 100 टन क्षमता की एचएमसी के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता को 3 फरवरी, 2019 से आगे बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III /4/असाधारण/310/18]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th October, 2018

No. TAMP/30/2014-PPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing tariff for 100 Tonne capacity Harbour Mobile Crane (HMC) installed by private operators at Paradip Port Trust, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/30/2014-PPT

Paradip Port Trust **---** **Applicant**

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 3rd day of October 2018)

This case deals with the extension of the validity of the existing tariff for 100 Ton capacity Harbour Mobile Crane (HMC) installed by private operators at Paradip Port Trust (PPT).

2. Based on a proposal filed by the PPT, this Authority vide its Order no. TAMP/30/2014-PPT dated 28 November 2014 has fixed ceiling tariff for the use of HMC at the PPT, for common application, without reference to any particular service provider. This Order was notified in the Gazette of India on 5 January 2015 and had come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order i.e. 4 February 2015 and is valid for a period of three years i.e. upto 3 February 2018.

3. When the PPT vide its letter dated 13/15 February 2018, interalia, requested to extend the validity of the existing tariff of 100 tonne capacity HMC upto 03 August 2018, on the ground that preparation of fresh proposal for revision of tariff of 100 tonne capacity HMC is under process and will be finalised soon, this Authority vide its Order dated 19 March 2018 had extended the validity of the existing tariff of 100 tonne capacity HMC installed by private operators at PPT upto 3 August 2018 or till the effective date of implementation of new tariff to be fixed for 100 tonne capacity HMC based on the proposal to be filed by PPT, whichever is earlier. Vide the said Order, the PPT was also advised to file its proposal by 30 April 2018. This Order was notified in the Gazette of India on 3 April 2018 vide Gazette No. 139.

4. In this backdrop, the PPT has again vide its letter no. EM/WS/TECH/04/1853 dated 6 August 2018 made a request to extend the validity of the existing tariff for 100 tonne capacity HMC for another period of 6 month i.e. upto 3 February 2019 or till finalization of the new tariff, whichever is earlier on the ground that preparation of proposal to be filed by PPT is under process.

5.1. Since the validity of the existing tariff for 100 HMC has already expired on 3 August 2018 and considering the time required for processing the proposal (to be) filed by the PPT and in order to avoid a vacuum in the tariff, it is felt appropriate to extend the validity of the existing tariff for 100 HMC beyond 3 August 2018. The PPT has, however, not indicated the time by which it would submit its proposal.

5.2. A six month validity was granted to PPT on the earlier occasion relying on the port's submission vide its letter dated 15 February 2018 that preparation of proposal is under process and it will file the proposal soon. However, the PPT has not yet filed the proposal. At the same time, to avoid a vacuum in tariff, the Authority is constrained to extend the validity of the existing tariff for 100 HMC beyond 3 August 2018.

5.3. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing tariff for 100 Ton capacity HMC installed by private operators at PPT upto 3 February 2019 or till the effective date of implementation of new tariff to be fixed for 100 tonne capacity HMC based on the proposal to be filed by PPT, whichever is earlier. The PPT is advised to file its proposal latest by 30 November 2018. The PPT may also note that any further request for extension of validity of the existing tariff for 100 Ton capacity HMC beyond 3 February 2019 would not be entertained.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./310/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.10.22 12:18:25 +05'30'